शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.)

कार्यालय सचिव/स्ववित्तीय/जनभागीदारी समिति

दूरभाष क्रमांक 07572–240916

जावक क्र 568/स्था/2019 विज्ञप्ति दिनांक 20/11/2019

शास. एम.जी.एम.पी.जी. महाविद्यालय, इटारसी में अध्यापन हेतु जनभागीदारी समिति/स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र् 2019–20 हेतु हिन्दी विषय में अतिथि विद्वानों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

क्रमांक	विषय	पदों की संख्या
1	Hindi	01

शैक्षणिक योग्यता– सम्बन्धित विषय में M.A./ NET/SET/M.PHIL/Ph.D.

नियम एवं शर्ते :–

1. अतिथि विद्वानों का आमंत्रण अधिकतम आवश्यकतानुसार 11 माह के लिए किया जायेगा अतिथि विद्वान द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का कार्य किया जा सकेगा तथा उसी हिसाब से उन्हे प्रति कार्य दिवस रूपये 545/– मानदेय भी प्राप्त होगा।
2. चयन हेतु आवेदन पत्र महाविद्यलय में दिनांक 05.12.2019 तक सीधे या डाक द्वारा कार्यालय प्राचार्य/सचिव शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटारसी(म.प्र.) को समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित प्रस्तुत करें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित विषय का नाम (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम/जनभागीदारी पाठ्यक्रम) आवश्यक रूप से लिखे। प्रत्येक विषय हेतु अलग–अलग लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत करें।
3. अन्तिम चयन यू.जी.सी. एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के दिशानिर्देशों के मानदण्ड/आधार पर होगा।
4. अंतिम गुणानुक्रम (Merit) सूची स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांको के प्रतिशत तथा अन्य अधिभारो/वरीयताओं के आधार पर तैयार की जायेगी। वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगा–
   श्रेणी–1 संबंधित विषय में पी.एचडी. एवं नेट/सेट
   श्रेणी–2 संबंधित विषय में पी.एचडी. अथवा नेट/सेट
   श्रेणी–3 संबंधित विषय में एम.फिल.
   श्रेणी–4 संबंधित विषय में स्नातकोत्तर
5. ऐसे आवेदक जिन्होंने शासकीय महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना के तहत या शासकीय अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो, उन्हें प्रतिवर्ष अध्यापन कार्य करने पर 04 अंको का लाभ दिया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 20 अंक होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। विकलांग आवेदकों को भी प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।
7. अध्यापन कार्य हेतु आवेदित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत एवं स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
8. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन जनभागीदारी प्रबंधन समिति स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जायेगे और लोक सेवक की निहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नही माने जायेगे।
9. अतिथि विद्वान के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
10. चयनित अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे।
11. अतिथि विद्वानों का कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक का रहेगा एवं अध्यापन कार्य के अतिरिक्त प्रशासकीय/कार्यालयीन कार्यो में सहयोग करेंगे।
12. बिना किसी पूर्व सूचना के महाविद्यालय में लगातार तीन कार्यदिवस तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में, महाविद्यालय प्रबंधन/जनभागीदारी समिति अतिथि विद्वान को कार्य से मुक्त कर सकती है।
13. सचिव, जनभागीदारी समिति अथवा संस्था के प्राचार्य द्वारा सोपे गये कार्यो के संतोषजनक रूप से सम्पादित/क्रियान्वित नहीं किये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अतिथि विद्वान को कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

सचिव

जनभागीदारी समिति

शासकीय महात्मा गांधी स्मृति

स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

इटारसी

Principal
Govt. M.G.M.P.G. College
ITARSI